प्रेषक,

राम बाबू यादव,
अपर जिला सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–3, एटा।

सेवा में,

मौहम्मद अरशद,
सहायक निबन्धक( Admin.A-IV)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
एटा।

बिषय :श्री राम बाबू यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एटा की चल व अचल सम्पत्ति के विवरण के सम्बन्ध में :–

महोदय,

1– आपके आपत्ति दिनांकित 13.12.2022 के प्रकाश में सादर अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2006–2007, 2007–2008 , 2008–2009, तथा 2009–2010 में मेरे द्वारा कुल वेतन राशि जो आहरित किया गया उसका विवरण सारणी के रूप में निम्नवत है तथा जो इन्वेस्टमेन्ट बीमा धनराशि, पी0पी0एफ0 एकाउन्ट, सी0पी0एफ एकाउन्ट आदि में किया गया उसका विवरण सारणी में इन्वेस्टमेन्ट कालम में दर्शित किया गया है तथा मेरे द्वारा वित्तीय वषर्द्य में बचत वर्षानुसार सारणी के बचत कालम में दर्शित किया गया है।

| वित्तीय वर्ष | आहरित वेतन | निवेश धनराशि | बचत धनराशि |
|---|---|---|---|
| 2006–2007 | 1,52126.00 | 22521.00 | 1,29,605.00 |
| 2007–2008 | 2,37633.00 | 72881.00 | 1,64,752.00 |
| 2008–2009 | 2,45433.00 | 98535.00 | 1,46,898.00 |
| 2009–2010 | 3,39366.00 | 1,23,307.00 | 1,16,059.00 |
| योग | 9,74558.00 | योग–3,17,244.00 | योग–6,57,314.00 |

उपरोक्त विवरण के अनुसार यह निवेदन किया जाना है कि आपकी आपत्ति दिनांकित 13.12.2022 में जो निवेश की धनराशि बीमा प्रीमियम , पी0पी0एफ0एकाउन्ट , सी0पी0एफ0एकाउन्ट , जी0आई0एस0 आदि के रूप में समग्र रूप से दिखाई गयी है वह धनराशि 3,80, 124/–रूपये दिखायी गयी है। यह निवेश धनराशि वित्तीय वर्ष 2006–2007 , 2007–2008, 2008–2009 तथा वित्तीय वर्ष 2009–2010 में समग्र रूप से है। उपरोक्त धनराशि केवल वित्तीय वर्ष 2009–2010 को नही दिखाया गया है इसलिये आपके आपत्ति कि मेरे द्वारा अपने परिवार का खर्चा जिसमे तीन सदस्य है , का प्रबन्धन कैसे किया जाता है। उक्त के बाबत यह निवेदन करना है कि मेरी शादी 28 फरवरी 2008 को सम्पन्न हुई थी। वित्तीय वर्ष 2009–2010 में मेरे एक ही पुत्र था और निवेश की धनराशि जो आपके द्वारा दर्शायी गयी है वह विगत तीन साल का है और जो वेतन की धनराशि दिखायी गयी है वह केवल एक साल अर्थात वित्तीय वर्ष 2009–2010 का है । यह कि तीन साल का मेरा कुल वेतन 9,74,558/–'रूपये है और उपरोक्त तीन वर्ष में कुल निवेश 3,80,124/–रूपये है। इस प्रकार गणना के अनुसार उपरोक्त तीन साल में मेरी बचत 6,57,314/–रूपये है। मेरे द्वारा उपरोक्त तीन वर्ष का वेतन के अनुसार एवं समकालीन मंहगाई के अनुसार व्यक्तिगत खर्च मय परिवारिक सदस्य का खर्चा औसत 6000/–रूपये प्रतिमाह के हिसाब से लगभग 2,90,00/–रूपये है मेरी बचत उपरोक्त समय में 3,57,314/–रूपये है। इसी बचत धनराशि में से मेरे द्वारा निवेश कार लोन का भुगतान किया गया है। इस प्रकार मेरे द्वारा अपने परिवार का खान पान व्यय का प्रबन्धन किया गया है।

उपरोक्तानुसार निवेदन श्रीमानजी की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हो।

सादर

No. 2093 / XV civil /2022 Dt. 15-12-22
Etah Judgeship, Etah
FORWARDED

दिनांक–15.12.2022

भवदीय,
15-12-22
(राम बाबू यादव)
अपर जिला सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–3, एटा।

Narendra Kumar
I/c District Judge 15.12.22
Etah
15-12-22